केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
जोधपुर (राजस्थान) 342 003
Phone No. 0291 –/2785981(AO)/2787152 (AAO)

फाइल संख्या : 11(14)2014-2015/Admn. IV/ दिनांक : 25.10.2014

ऑवला तथा अनार के फलों की ऋतु वर्ष 2014-15 के लिए नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण की अंतिम दिनांक बढाने बाबत् सूचना

राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 16.10.2014 को इस संस्थान की प्रकाशित ऑवला तथा अनार के फलों की ऋतु वर्ष 2014-15 के लिए नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना के सन्दर्भ में प्रशासनिक कारणों से निविदा आमंत्रण की अंतिम दिनांक 03.11.2014 समय 3.00 बजे तक बढाकर मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है। यदि चाहे तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (प्रशासन चतुर्थ),
वास्ते निदेशक

नोट : यह विज्ञापन राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण दिनांक 26 अक्टुम्बर, 2014 के अखबार में प्रकाशित है ।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
जोधपुर (राजस्थान) 342 003
Phone No. 0291 –2787152/2785981(AO)

फाइल संख्या : 11(14)अनार/2014-2015/Admn. IV/ **दिनांक : 25.10.2014**

<u>अनार फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें</u>

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 03.11.2014 समय प्रातः 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 03.11.2014 समय प्रातः 3.30 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
के0शु0क्षे0अ0सं0,
जोधपुर । (राज0) 342003

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् ——————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

विषयः– के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में अनार के फलों की नीलामी (फलों की ऋतु वर्ष 2014-15) के लिए अल्पकालीन निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में अनार के फलों की नीलामी ऋतु वर्ष 2014-15 के लिए मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्त्ता के कार्यालय में दिनांक 03.11.2014 समय दोपहर 3.00 बजे बजें तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक/कोरियर द्वारा पहुॅंच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाऍं दिनांक 03.11.2014 समय दोपहर 3.30 बजे इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के सभा भवन में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	फल लगे पेड़ों की संख्या
1.	इस संस्थान के विभिन्न बगीचों में अनार की विभिन्न किस्मों के लगभग 200 पेड़ो में फल लगे हैं ।	लगभग 200फल लगे पेड.

अनार फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 5000.00 “ICAR Unit- CAZRI Jodhpur” के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) अथवा नकद में इस संस्थान के रोकडि़या को जमा करा कर इसकी रसीद निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर / वेट (if applicable) अनार के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता ठेकेदार /फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त अनार के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **अनार फलों की नीलामी के लिए निविदा”** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 3.30 बजे संस्थान की समिति द्वारा खोली जाएगी ।
5. सफल/उच्चतम निविदा दाता/पार्टी को नीलामी के पश्चात अनार फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलो की तुड़वाई फलों की ऋतु काल में दी गई अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुक्सान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
6. अनार की नीलामी में पारित अधिकतम राशि का आधा भाग नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे ।
7. ठेकेदार/फर्म को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
8. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
9. अनार फलों की नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत दर निविदा दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
10. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
11. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।
12. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
13. अनार फलों की नीलामी की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को नीलामी/ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा और उस ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में इस नीलामी से संबंधित जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
14. अनार फलों की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा अनार के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
15. अनार फल नीलामी की स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तो की अनुपालना व अनार फल ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
16. अनार फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
17. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
18. इस नीलामी में अनार फल तौड़ने की अवधि नवम्बर, 2014 से दिनांक 31.03.2015 अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।
19. **इस संस्थान की होर्टिकल्चर लेब को प्रोडक्ट बनाने हेतु 50 किलोग्राम अनार फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति आवश्यकतानुसार करनी होगी ।**

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नीलामी की अन्य शर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

2. अनार फलों की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/–अमानत राशि नकद में जो कि संस्थान के खजांची को जमा करा कर नकद रसीद द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT-CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. निविदा भरते समय ठेकेदार/फर्म/पार्टी अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें । पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।

4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।

6. अनार फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुँचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।

7. ठेकेदार/फर्म/पार्टी को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।

8. अनार फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा ।

10. अनार फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को अनार फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान अनार फलों की नीलामी के नियम व शर्तो की अनुपालना तथा अनार फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

11. अनार फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।

12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

13. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुक्सान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक